प्रेषक,

निदेशक,
उच्च शिक्षा, उत्तराखण्ड,
हल्द्वानी (नैनीताल)।

सेवा में,

समस्त प्राचार्य,
राजकीय स्नातक/स्नातकोत्तर महाविद्यालय,
उत्तराखण्ड।

पत्रांकः 202 /डिग्री सेवा–1/स्था0पत्रा0–2024/2024–25 दिनाँकः 20 अप्रैल, 2024

विषयः उच्च शिक्षा निदेशालय, उत्तराखण्ड के अन्तर्गत समूह–'क' में संयुक्त निदेशक/प्राचार्य–स्नातकोत्तर/उप निदेशक/प्राचार्य–स्नातक/सहायक निदेशक व असिस्टेंट प्रोफेसर एवं समूह–'ख', 'ग' व 'घ' के समस्त संवर्ग/पदों में स्थानान्तरण हेतु पात्र कार्मिकों के आवेदन पत्र उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक स्थानान्तरण सत्र 2024–25 में उच्च शिक्षा विभाग उत्तराखण्ड के अन्तर्गत कार्यरत समूह–'क', 'ख', 'ग' एवं 'घ' संवर्ग/पदों पर कार्यरत पात्र कार्मिकों का स्थानान्तरण **"उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017"** के तहत किया जाना है।

02– तदक्रम में अधिनियम की धारा–23 में विनिर्दिष्ट प्राविधानों के अन्तर्गत उच्च शिक्षा निदेशालय, उत्तराखण्ड के अन्तर्गत **समूह–'क'** में संयुक्त निदेशक/प्राचार्य–स्नातकोत्तर/उप निदेशक/प्राचार्य–स्नातक/सहायक निदेशक व असिस्टेंट प्रोफेसर एवं **समूह–'ख', 'ग' व 'घ'** के समस्त संवर्ग/पदों में **केवल पात्र कार्मिकों** के आवेदन पत्र निम्नलिखित शर्तों व प्रतिबन्धों के अधीन उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें:–

(1) **समूह–'क'** में संयुक्त निदेशक/प्राचार्य–स्नातकोत्तर/उप निदेशक/प्राचार्य–स्नातक/सहायक निदेशक व असिस्टेंट प्रोफेसर संवर्ग/पदों के स्थानान्तरण आवेदन पत्र निदेशक, उच्च शिक्षा, उच्च शिक्षा निदेशालय, उत्तराखण्ड, नवाडखेड़ा, हल्द्वानी तथा एवं **समूह–'ख', 'ग' व 'घ'** के समस्त संवर्ग/पदों के स्थानान्तरण आवेदन पत्र संयुक्त निदेशक, उच्च शिक्षा, क्षेत्रीय कार्यालय, दून विश्वविद्यालय परिसर, देहरादून को उपलब्ध कराये जायेंगे।

(2) प्रत्येक संवर्ग/पद में मात्र पात्र कार्मिकों के आवेदन मूल प्रति में आवेदक के हस्ताक्षर सहित महाविद्यालय/संस्थान के प्राचार्य/कार्यालयाध्यक्ष की संस्तुति के उपरान्त ही स्वीकार किये जायेंगे।

(3) **आवेदन पत्र निदेशालय को उपलब्ध कराने की अन्तिम तिथि निम्नवत है:–**

क–सुगम से दुर्गम अथवा दुर्गम से सुगम कार्यस्थल में अनिवार्य स्थानान्तरण हेतु **अन्तिम तिथिः 15.05.2024।**

ख–अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण हेतु आवेदन की **अन्तिम तिथिः 30.04.2024।**

स्थानान्तरण हेतु आवेदन प्राप्त किये जाने की निर्धारित अन्तिम तिथि के उपरान्त आवेदन पत्र किसी भी दशा में स्वीकार नहीं किये जायेंगे। महाविद्यालय/संस्थान के प्राचार्य/कार्यालयाध्यक्ष एवं पात्र कार्मिकों से अपेक्षा है कि मूल आवेदन पत्र यथासम्भव वाहक के माध्यम से निर्धारित अवधि के भीतर उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करें।

(4) अनिवार्य एवं अनुरोध श्रेणी के अन्तर्गत स्थानान्तरण हेतु आवेदन पत्र उच्च शिक्षा विभाग की वेबसाइट **https://he.uk.gov.in** से डाउनलोड कर पूरित किया जाना होगा। वेबसाइट में अनिवार्य श्रेणी अन्तर्गत **समूह–'क' हेतु आवेदन प्रपत्र –क', समूह–'ख', 'ग' एवं 'घ' हेतु आवेदन प्रपत्र 'ख' तथा अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण हेतु प्रपत्र 'ग' में आवेदन** किया जाना होगा।

(5) अनुरोध अन्तर्गत आवेदनकर्त्ताओं को स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 में दिये गये आधार के क्रम में संगत प्रमाण–पत्र/अभिलेखों की प्रमाणित प्रति संलग्न किया जाना अनिर्वाय होगा।

क्रमशः......................2/–

(6) स्थानान्तरण आवेदन पत्र पूरित किये जाने हेतु विभागीय वेबसाइट पर विषयवार रिक्तियों की सूची अपलोड की गयी है। अतः समस्त कार्मिक रिक्त पदों के सापेक्ष ही स्थानान्तरण हेतु आवेदन करें।

(7) स्थानान्तरण आवेदन–पत्र **(समूह–'क') अनिवार्य रूप से वाहक के माध्यम** से निर्धारित तिथि से पूर्व निदेशालय को उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करें।

(8) समूह–'ख', 'ग' एवं 'घ' के पात्र कार्मिकों के स्थानान्तरण आवेदन पत्र निर्धारित तिथि तक संयुक्त निदेशक, उच्च शिक्षा, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

(9) प्राचार्यों का दायित्व है कि स्थानान्तरण अधिनियम–2017 का भली–भाँति अध्ययन कर केवल पात्र कार्मिकों के ही आवेदन नियमानुसार अग्रसारित करें तथा इस आशय का पृथक से प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा कि महाविद्यालय में कार्यरत तथा स्थानान्तरण हेतु पात्र समस्त कार्मिकों के आवेदन पत्र प्रेषित किये गये हैं।

(10)प्रशासनिक आधार पर स्थानान्तरण हेतु प्रस्ताव साक्ष्य सहित उपलब्ध कराया जायें।

(11)महाविद्यालय में नियमित रूप से कार्यरत तथा अन्यंत्र सम्बद्ध/कार्ययोजित कार्मिकों के सम्बन्ध में संलग्न निर्धारित प्रारूप पर पृथक से सूचना स्थानान्तरण आवेदन पत्रों के साथ उपलब्ध करायी जानी अनिवार्य होगी।

उपरोक्तानुसार **"उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017"** में वर्णित तथा तद्सम्बन्धी समय–समय पर जारी शासनादेशों के आलोक में निमयानुसार निर्धारित समय–सीमा के भीतर कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।
संलग्नः प्रमाण–पत्र प्रारूप।

भवदीय,

(डॉ0 चन्द्र दत्त सूँठा)
निदेशक उच्च शिक्षा
उत्तराखण्ड हल्द्वानी (नैनीताल)

पृ0सं0: /डिग्री सेवा–1/स्था0पत्रा0–2024/2024–25 तद्कदिनाँकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवकश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. अपर सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग–4, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
2. संयुक्त निदेशक, उच्च शिक्षा, क्षेत्रीय कार्यालय, दून विश्वविद्यालय परिसर, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि समूह–'ख', 'ग' व 'घ' के समस्त संवर्ग/पदों के स्थानान्तरण के सम्बन्ध में अग्रेत्तर कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।
3. डिग्री सेवा–II पटल, उच्च शिक्षा निदेशालय, हल्द्वानी में कार्यरत कार्मिकों के दृष्टिगत।
4. डॉ0 प्रमोद कुमार, सहायक निदेशक, को इस आशय से प्रेषित कि स्थानान्तरण सत्र 2024–25 के दृष्टिगत समूह–'क' तथा 'ख', 'ग' एवं 'घ' वर्ग हेतु अनिवार्य स्थानान्तरण प्रपत्र 'क' व 'ख' तथा अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण प्रपत्र–'ग' को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने का कष्ट करें।

(डॉ0 चन्द्र दत्त सूँठा)
निदेशक उच्च शिक्षा
उत्तराखण्ड हल्द्वानी (नैनीताल)